न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 95/2019 जी.सी.एम.एस संख्या 2019/00310

1. मोहनलाल दत्तक पुत्र माखल्या जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम साईवाड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र भौरीलाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम साईवाड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. सत्यनारायण पुत्र भौरीलाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम साईवाड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. नेमीचन्द पुत्र भौरीलाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम साईवाड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।
4. ग्राम पंचायत नटाटा जरिये सरपंच, पंचायत मुख्यालय नटाटा, जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर।
6. उप पंजीयक महोदय, तहसील जमवारामगड, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, जमवारामगढ़, जिला जयपुर दिनांक 28.06.2018 जो उन्होंने अपील सं. 14/2011 उनवानी मदनलाल बनाम ग्राम०पं० नटाटा व अन्य के अन्तर्गत पारित किया।

उपस्थित—

1. श्री राजेश कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री रामधन चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से।
3. श्री हेमन्त सोगानी वकील रेस्पोडेन्ट 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—26.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के आदेश दिनांक 28.06.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा—5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 31.08.1972 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 31.08.1972 को निरस्त कर तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनो पक्षों

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को विधिवत् सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिनांक 28.06.2018 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट मोहनलाल दत्तक पुत्र माखल्या द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 28.06.2018 निरस्त किये जाने एवं नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 31.08.1972 को बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अपीलाण्ट के विरूद्व प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में पूर्व में दिनांक 23.05.1989 को न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय प्रथम जयपुर के यहां वाद संख्या 46/89 एवं टी0आई प्रार्थना पत्र संख्या 56/89 प्रस्तुत किया था जो कि दिनांक 25.11.1991 को न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया, उसके पश्चात् पुनः रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.03.2008 को प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में एक नियमित वाद प्रस्तुत किया एवं उसके पश्चात् दिनांक 28.06.2011 को अपील पूर्व में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों को छिपाते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 68 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई जो कि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक 30 दिवस में ही प्रस्तुत की जा सकती थी लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अपील 39 साल पश्चात् जाकर प्रस्तुत की थी एवं 39 साल के डिले के संबंध में अपील में कोई उल्लेख नहीं किया एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा नामान्तरकरण की उसको जानकारी दिनांक 08.06.2011 को होना अंकित किया है। प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा पूर्व में दिनांक 23.05.1989 को वाद प्रस्तुत किया था यानिकी रेस्पोडेण्ट संख्या एक को प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 68 की जानकारी उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत के अनुसार 22 साल पूर्व हो चुकी थी इसलिए अपील जानकारी के दिन से भी मियाद बाहर थी एवं विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने भी मियाद के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया जबकि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मियाद के प्रश्न को तय करना चाहिये था। अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, ना ही अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या एक को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर जो गैर कानूनी रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं थी। अपीलाण्ट के पूर्वज भैरू के चार पुत्र क्रमशः नानगो, बुदो, रामलो, बरदो हुये जिसमें रामलो, बरदो नाऔलाद फोत हुये एवं नानगो के दो पुत्रः क्रमशः भौरीलाल व माखल्या हुये एवं बुदो के कोई पुत्र संतान नहीं हुई इसलिए उसने मांखल्या को गोद ले लिया एवं मांखल्या के कोई जायन्दा संतान नहीं होने के कारण माखल्या ने अपीलाण्ट को बचपन में ही सामाजिक रीति–रिवाजनुसार गोद ले लिया एवं अपीलाण्ट जन्म से अपने दत्तक पिता के पास रहा एवं अपने पिता माखल्या की मृत्यु उपरान्त उसका पुत्र होने के नाते अपीलाण्ट के नाम वैध रूप से नामान्तरकरण खुला इसलिए कानूनन अपीलाण्ट के हक में जो नामान्तरकरण खुला वह वैध रूप से खुला है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक को इस तथ्य की भली–भांति जानकारी रहीं कि अपीलाण्ट मांखल्या का पुत्र है लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अपीलाण्ट को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की क्योंकि उसने पूर्व में अपीलाण्ट के विरूद्व प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में 23.05.1989 को वाद प्रस्तुत किया था जिसमें भी उसे सफलता नहीं मिली एवं उसके पश्चात् दिनांक 11.03.2008 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया एवं उसके पश्चात् समस्त तथ्यों को छिपाते हुये दिनांक 28.06.2011 को अपील प्रस्तुत कर दी जिसमें अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् कभी नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना तथाकथित वसीयत की जॉच किये नामा0 निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर निरस्त किया जावे।

6. रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 के दादा जी का नाम नानगा पुत्र भैरू था, जिनके दो जाईन्दा पुत्र संतान भौरीलाल एवं माखल्या थे जिनमें से भौरीलाल, अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 3 के प्राकृतिक पिता थे एवं भौरीलाल फोत हो चुके है तथा माखल्या पुत्र नानगा अविवाहित कंवारा ही फोत हुए है। जो कि अपीलाधीन विवादित कृषि भूमियों के एकमात्र खातेदार रहे है, जो कि मतृक माखल्या पुत्र नानगा के विधिक वारिसान अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 बहिस्सा बराबर है । अपीलांट मोहन लाल के पिता भौरीलाल ही थे एवं माखल्या पुत्र नानगा अपीलांट मोहन लाल के चाचा थे अर्थात माखल्या पुत्र नानगा मोहन लाल के पिता नहीं थे। उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त के अपीलधीन भूमि के मतृक खातेदार काश्तकार स्व. माखल्या पुत्र नानगा के विरासती फोती नामांतरण की कार्यवाही में रेस्पो0 का इन्द्राज भी बतौर हिस्सा अनुसार खातेदार हक अधिकार दिया जाकर अपीलाधीन नामांतरण तसदीक किया जाकर राजस्व इन्द्राज किया जाना चाहिए था । अपीलांट भी बरूहे कानून हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मतृक माखल्या पुत्र नानगा के विधिक उत्तराधिकारी एवं वारीस है । अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 आपसी मनबट मुताबिक संयुक्त रूप में उनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि सम्पूर्ण में बहिस्सा बराबर चार हिस्सों में बांटकर कब्जे काश्त करते रहे है। मृतक के बहैसियत सगे भतीजे होने से अपीलार्थी हिस्सा 1/4 अनुसार एवं रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगायत 3 बहिस्सा बराबर–बराबर संयुक्त जीवित वारीस है तथा मतृक माखल्या पुत्र नानगा की विरासती आराजियात में रेस्पोडेण्ट्स अपने हिस्सा 1/4 तक जरिये फोती/विरासती नामांतरण खातेदारी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत ही नामान्तरकरण निरस्त कर रिमाण्ड करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलांट को नकल दिनांक 26.04.2019 को प्राप्त होने के कारण अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार माखल्या पुत्र नानगा की विरासत को लेकर है। माखल्या पुत्र नानगा की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत नटाटा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 31.08.1972 जिसकी अपील रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 40 वर्ष बाद नामान्तकरण संख्या 68 को निरस्त कर तहसीलदार को दोनो पक्षों की विधिवत् सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अपीलाण्ट के विरूद्व प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में पूर्व में दिनांक 23.05.1989 को न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय प्रथम जयपुर के यहां वाद संख्या 46/89 एवं

संभागीय आयुक्त
जयपुर

टी0आई प्रार्थना पत्र संख्या 56/89 प्रस्तुत किया था जो कि दिनांक 25.11.1991 को न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया। ऐसे में रेस्पोडेण्ट संख्या एक को प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 68 की जानकारी उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत के अनुसार 22 साल पूर्व हो चुकी थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 40 वर्ष बाद राजस्व कैम्प में बिना मियाद के बिन्दु को देखे नामान्तरकरण निरस्त किये गये हैं। नामान्तरकरण एक फिसीकल प्रोसेंडिग है इसके तहत किसी के अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अगर रेस्पोडेण्ट्स को मृतक खातेदार के खोले गये नामान्तरकरण के लगभग 40 वर्ष बाद अधिकार तय कराने हैं तो सक्षम सिविल न्यायालय से ही अधिकारों को निर्धारण किया जा सकता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 28.06.2018 निरस्त किया जाता जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 31.08.1972 बहाल किया जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर